web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 21 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 115

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71 हजार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 71 हजार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा देशभर में विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता, लोको-पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, आशुलिपिक और कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, अध्यापक, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे. प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाने से पहले नवनियुक्त कर्मियों ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के बारे में उनसे अपने अनुभव भी साझा किए. पश्चिम बंगाल की सुप्रभा, कश्मीर के श्रीनगर के फैजल शौकत शाह, बिहार के दिव्यांग राजू कुमार और तेलंगाना के वायसी कृष्णा सहित कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री को अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताया. कर्मयोगी प्रबंधन मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन आरंभिक पाठ्यक्रम है. इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार-संहिता, कार्यस्थल पर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन नीतियां शामिल हैं. गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान विभिन्न पदों पर चयनित 71 हजार युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र सौपे गए थे. इसके पहले रोजगार मेले के माध्यम से करीब 75 हजार नए लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

दो युवकों को दी तालिबानी सजा, पेड़ में रस्सी से बांधकर पीटा

सुलतानपुर (आरएनएस)। दो युवकों को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। पेड़ से बांधकर ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई किया। इसका एक वीडियो सामने आया है। पुलिस का कहना है कि बीते दिनो बच्चों के बीच तनातनी के बाद ये मामला प्रकाश में आया है। थानाक्षेत्र के ऊंच गांव में लडक़ों के दो गुट में करीब 25 दिन पूर्व खेल के समय विवाद हो गया था। मौके पर लोगो के समझाने बुझाने के बाद विवाद खत्म हो गया था। लेकिन बाद में ग्रामीणों ने दो युवकों को पकडक़र कर उनको पेड़ से बांधा और जमकर उनकी पिटाई किया।अब जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्टिव हुई। उस समय गांव के लोगो ने पुलिस को बताया कि हां घटना हुई तो थी लेकिन हम कार्रवाई नहीं चाहते। एसओ बंधुआ कला रवींद्र सिंह ने बताया कि गांव में प्रधान व संभ्रात लोगो ने दोनों पक्ष को डांट डपट कर मामला शांत करा दिया है।

ममता बनर्जी का कार्टून फॉरवर्ड करने वाले प्रोफेसर को 11 साल बाद मिली राहत, मामले से हुआ बरी

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय से संबंधित एक कार्टून को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने के आरोप में 2012 में गिरफ्तार किए गए जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार शुक्रवार को कोलकाता की एक निचली अदालत से क्लीन चिट मिल गई। अप्रैल 2012 में, महापात्रा ने उस कार्टून को कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के एक ईमेल ग्रुप को भेज दिया। ग्रुप में से किसी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जल्द ही महापात्रा और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तत्कालीन सचिव सुब्रत सेनगुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि महापात्रा और सेनगुप्ता दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, फिर भी मामला जारी रहा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 66ए को रद्द करने और सभी राज्य सरकारों को इस अधिनियम के तहत सभी मामलों को बंद करने और छोडऩे के लिए कहने के बाद भी पुलिस ने महापात्रा के खिलाफ मामला जारी रखा।

इसरो जासूसी मामला : सीबीआई को हाईकोर्ट से झटका, 2 पूर्व डीजीपी और 4 अन्य को जमानत

कोच्चि (आरएनएस)। इसरो जासूसी मामले में डीजीपी रैंक के दो पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारियों और चार अन्य ने शुक्रवार को राहत की सांस ली। केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सीबीआई ने जमानत का जोरदार विरोध किया, लेकिन उस समय झटका लगा जब न्यायमूर्ति के. बाबू ने केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और चार अन्य को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने छह अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले नोटिस तक विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं और अग्रिम जमानत देने के हिस्से के रूप में एक-एक लाख रुपये का सिक्योरिटी बांड मांगा है।

पिछले साल जुलाई में, सीबीआई ने तिरुवनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये सभी इसरो जासूसी मामले में जांच दल का हिस्सा थे और उन पर सीबीआई ने साजिश रचने और दस्तावेजों को गढऩे का आरोप लगाया था।

इसरो जासूसी का मामला 1994 में सामने आया था, जब इसरो यूनिट के एक टॉप वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन को इसरो के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मालदीव की दो महिलाओं और एक व्यवसायी के साथ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें 1995 में सीबीआई द्वारा बरी कर दिया गया था और वह इसरो में फिर से शामिल हो गए।

मैथ्यूज, जिन्होंने एक दशक पहले पुलिस महानिदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, ने सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा किया और राज्य की राजधानी शहर में बस गए। मामले में श्रीकुमार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक के रूप में थी। उनके तत्कालीन सहयोगी पी.एस. जयप्रकाश को भी अग्रिम जमानत मिल गई है।

कई लंबी अदालती लड़ाइयों के बाद नारायणन के लिए चीजें बदल गईं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. जैन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की, जो यह जांच करेगी कि क्या तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के बीच नारायणन को झूठा फंसाने की साजिश थी। सीबीआई की नई टीम पिछले साल जुलाई में आई थी और शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार उसे यह पता लगाना था कि क्या नारायणन को फंसाने के लिए केरल पुलिस और आईबी की जांच टीमों की ओर से कोई साजिश थी।

नारायणन को अब केरल सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों से 1.9 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है, जिसने 2020 में उन्हें 1.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आदेशित 10 लाख रुपये का अन्य मुआवजा दिया। मुआवजा इसलिए था क्योंकि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को गलत कारावास, द्वेषपूर्ण अभियोजन और अपमान सहना पड़ा था।

हालांकि तत्कालीन जांच अधिकारियों ने राहत पाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मामला अब 27 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है और उन सभी को विशेष रूप से जांच दल के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है।

सभी राज्य भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से कराएं पालन

गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत सरकार के मंत्रालयों से भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि देश में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। ध्वज को कार्यक्रम के बाद न तोड़ा जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। यही नहीं केंद्र ने इसको लेकर राज्यों से जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है।

गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान और वफादारी है। मंत्रालय ने कहा फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकार के संगठनों/एजेंसियों के बीच अक्सर जागरूकता की कमी देखी जाती है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसर पर जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जा सकता है। राज्यों से ये भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसर पर जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कागज के बने झंडों को आयोजन के बाद न तो तोड़ा जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निस्तारण, ध्वज की गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराएं और इस संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम चलायें तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।

नकली नोट चलाने के आरोप में सात गिरफ्तार

राजकोट (आरएनएस)। गुजरात की राजकोट पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है और सात लोगों को गिरफ्तार किया है। सातों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड के लिए मांगेगी। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गैंग ने अंगदिया पेढ़ी (पारंपरिक कूरियर सेवा) के माध्यम से बाजार में 35 लाख रुपए के नकली नोटों को उतारा था।

जांच अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि अंगडिय़ा पेढ़ी के एक कर्मचारी ने संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी कि दो व्यक्ति ढाई लाख रुपए जमा करने आए हैं और इसे अन्य शहरों में स्थानांतरित करना चाहते हैं, लेकिन नोट नकली लग रहे हैं। सूचना के बाद एक पुलिस अधिकारी अंगदिया पेढ़ी कार्यालय पहुंचा और ढाई लाख रुपए मूल्य के नकली नोटों के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

प्राथमिक पूछताछ के दौरान, उन्होंने भरत बोरिचा और महाराष्ट्र के कमलेश पूनावाला को गैंग का सरगना बताया। पुलिस हरकत में आई और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया और देर रात तक पुलिस ने कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, बोरिचा और पूनावाला ने पुलिस को बताया कि अब तक उन्होंने 10 से 15 अगंडिया पेढ़ी के जरिए 35 लाख रुपए के नकली नोट उड़ाए हैं। उन्होंने एक शहर में अंगदिया पेढ़ी के कार्यालय में नकली नोट जमा किए और दूसरे शहरों में उनके संपर्कों को असली नोटों की डिलीवरी मिल गई।

अधिकारी ने कहा, इसी तरह नकली नोट बाजार में घूम रहे हैं। चूंकि ये कूरियर सेवाएं यूवी लाइट, नकली करेंसी नोट डिटेक्टर मशीनों का उपयोग नहीं करती हैं, इसलिए नकली नोटों को बदलना उनके लिए आसान था।

हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी, 278 सड़क मार्ग बंद

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य भर में रुक-रुककर बारिश होने से 278 सडक़ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

कुल्लू में जलोड़ी जोत और रोहतांग दर्रे में क्रमश: 60 और 45 सेंटीमीटर, जबकि अटल सुरंग के दक्षिण छोर और चैंसल में 30-30 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई।

चुडधर और डोडरकवार में 25 सेंटीमीटर, खदराला में 16 सेंटीमीटर और शिमला में जाखू चोटी तथा कुफरी के आसपास के क्षेत्रों में तीन से 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। मनाली, गोहर और टिंडर में क्रमश: 16 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर और 8.3 मिलीमीटर पानी बरसा, जबकि नाहन और भुंतर में 5.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग तीन और 305, रोहतांग दर्रे और जालोरी दर्रे पर बाधित रहा, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 505 के ग्राम्फू से लोसर के बीच वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। लाहौल और स्पीति में 177, शिमला में 64, किन्नौर में नौ, चंबा में पांच, कुल्लू में तीन और कांगड़ा तथा सिरमौर जिले में दो-दो सडक़ें बंद रहीं।

स्थानीय मौसम विज्ञान कार्यालय ने 26 जनवरी तक क्षेत्र में बारिश, 21-22 जनवरी को अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी और 23 जनवरी को मध्य तथा ऊंची पहाडिय़ों वाले कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है।

'टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष एम के सेठ ने बताया कि राज्य की राजधानी और इसके उपनगरों में ताजा बर्फबारी के बाद शुक्रवार देर शाम तक होटलों के 70 प्रतिशत तक भर जाने की उम्मीद है। अभी होटल 30 प्रतिशत तक भरे हैं।

जुर्माने की रसीद मांगने पर भड़का टीटीई, ट्रेन में कर दी यात्री की पिटाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। जुर्माने की रसीद मांगने पर ट्रेन में टीटीई ने यात्री की पीटाई कर दी। यात्री अवध-असम एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ट्रेन न. 12909 अवध-असम एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री मोहम्मद वारिस को जनरल की टिकट पर स्लीपर कोच में सफर करने की वजह से टीटीई ने पिटाई कर दी। यात्री के अनुसार उसे बहादुरगढ़ जाना था और गुरुवार दोपहर करीब 1 बजकर 25 मिनट पर वो अवध-असम एक्सप्रेस (12909) में अमरोहा से सवार हुआ।

यात्री के मुताबिक अमरोहा-गजरौला के बीच ट्रेन में टीटीई चेकिंग करने के लिए आए। उन्होंने जनरल के टिकट पर स्लीपर में यात्रा करने पर आपत्ति जताई। यात्री वारिस ने कहा कि वो अगले स्टॉपेज हापुड़ पर उतर जाएगा। इसके बाद टीटीई ने यात्री को 300 रुपए जुर्माना देने को कहा लेकिन जब यात्री ने इसकी रसीद मांगी तो टीटीई ने वारिस की पिटाई कर दी। उसको कोच में नीचे गिराकर पीटा। यात्री वारिस ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए इसका विडियो भी बनाया है। हालांकि टीटीई ने यात्री पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसे गाजियाबाद जीआरपी के हवाले कर दिया है। वहीं, यात्री ने भी टीटीई के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी है।

गौरतलब है कि अक्सर यात्री जनरल कोच का टिकट होने के बाबजूद भीड़ से बचने के लिए स्लीपर कोच में चढ़ जाते हैं और रेलवे की ओर से इसके लिए फाइन वसूला जाता है। गुरुवार को भी अवध-असम एक्सप्रेस में ऐसा ही हुआ लेकिन टीटीई और यात्री के बीच मारपीट की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं।

इसका जो वीडियो सामने आया है, उसमें टीटीई, युवक को पीटते हुए नजर आ रहा है। ट्रेन के पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर टीटीई द्वारा पहले यात्री को जीआरपी चौकी पर ले जाया गया लेकिन मामला यूपी का था, इसलिए वहां की पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया।

फिलहाल इस मामले में रेलवे की ओर से जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दो जनवरी को बिहार के मुजफ्फरपुर में भी टीटीई के यात्री से मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया था। जिसमें ट्रेन के अंदर दो टीटीई ने एक यात्री की लातों और घूसों से जमकर बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे थे।

जाति आधारित गणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली सभी यचिकाएं खारिज

0-बिहार सरकार को बड़ी राहत

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है, लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है. पीठ ने छूट दी कि याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा, ''तो यह लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल याचिका है. हम कैसे यह निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए. माफ कीजिए, हम ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते.''

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें से एक याचिका एक गैर-सरकारी संगठन ने दाखिल की थी. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. गौरतलब है कि एक याचिकाकर्ता ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था, जिस पर 11 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को करेगी.

मौनी अमावस्या आज... लगभग ढाई करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान, प्रशासन एलर्ट

प्रयागराज (आरएनएस)। आज माघ मेला के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रशासन ने सर्वाधिक भीड़ आने का अनुमान लगाया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की मानें तो आज करीब ढाई करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेला में सुरक्षा, स्वच्छता को लेकर शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी हुए हैं।

मेले की सुरक्षा का फुलप्रूफ प्लान तैयार किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, एडीजी भानु भास्कर, आईजी चंद्रप्रकाश, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, डीएम संजय कुमार खत्री व मेलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान समेत विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों ने मुख्य स्नान पर्व पर आपस में समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। खासतौर पर पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच तालमेल बेहतर होनी चाहिए।

भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन व आपदा प्रबंधन को लेकर रणनीति तय की गई। एक साथ भीड़ बढऩे पर जंक्शन समेत शहर के अन्य 14 होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को कुछ समय तक रोका जाएगा। इस एरिया में भीड़ को अस्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था की गई है। अधिक भीड़ के समय जंक्शन के चारों होल्डिंग एरिया को एक्टिव करने तथा रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर अनावश्यक भीड़ को जाने से रोकने के लिए मेला क्षेत्र में लगी विभिन्न एलईडी स्क्रीन पर ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई।

सभी होल्डिंग एरिया की जिम्मेदारी एडीएम सिटी मदन कुमार को दी गई है। शहर से लेकर संगम तक कुल 194 मजिस्ट्रेटों की दो पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। शहर और मेला क्षेत्र को 10 जोन और 50 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में एडीएम रैंक के जोनल अधिकारी और सेक्टरों में एसडीएम रैंक के सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 98 सेक्टर आफिसर तैनात किए गए हैं। आइट्रिपलसी स्थित मेला कंट्रोल रूम में स्पेशल नोडल अधिकारी को लगाया गया है। इन अफसरों को शुक्रवार दिन से ही ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं।

बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की सघन चेकिंग करने को कहा गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने को कहा गया। मेले के सभी 17 प्रवेश द्वारों एवं सभी स्नान घाटों पर कोविड हेल्पडेस्क को पूरी तरह से सक्रिय करने को कहा गया। अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि, एसपी मेला राजीव नारायण मिश्रा, अपर मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद एवं विवेक चतुर्वेदी उपस्थित रहे।

आपात काल में ग्रीन कारिडोर, स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर लागू रहेगा। श्रद्धालुओं के तात्कालिक उपचार के लिए एंबुलेंस एवं निकटतम अस्पताल के चिन्हीकरण के संबंध में सीएमओ को हर परिस्थिति में मेडिकल रेस्पांस टीम तैयार रखने, हर चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने, आपातकालीन स्थिति में ग्रीन कारिडोर का प्रयोग करने, एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर खड़े करने के निर्देश दिए गए। ठंड, हार्ट, लंग संबंधित बीमारियों की दवाई अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों व डिस्पेंसरी में उपलब्ध करा दी गई है।

भगदड़ के दृष्टिगत एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आग की घटनाओं से लोगों को बचाव के लिए 14 फायर स्टेशनों को सक्रिय कर दिया गया है। सीएमओ व मेडिकल कालेज के प्राचार्य को अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड, चिकित्सकों व दवा की व्यवस्था कर ली गई है।

एडीजी जोन ने कहा कि मेला में डिस्पर्सन प्लान पुलिस की ओर से लागू कर दिया गया है। इसके तहत स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाट छोडऩे को कहा जाएगा।